रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 321] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 3, 1985/आषाढ़ 12, 1907
No. 321] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 3, 1985/ASADHA 12, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CK 18/9/85

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली 3 जुलाई 1985

का आ 504 (अ) —केन्द्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार से अधिकारी श्री एम. एल. मधोक, पदेन उप सचिव, भारत सरकार को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए विशेष रूप से सशक्त करती है ।

फा. सं. 671/3/84-सी. शु.-81
आर. के. तिवारी, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 3rd July, 1985

S.O. 504(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974), the Central Government hereby specially empowers the following officer of the Central Government namely, Shri M.I. Wadhawan, ex-officio Additional Secretary to the Government of India, for the purposes of the said section.

[F. No. 671|3|84-Cus. VIII]

R. K. TEWARI, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985